

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनु उपस्थित प्रकरण
में बायीं एवं उनके अधिवक्ता को विधिवत नहीं
मार्ग आवाजे लगाई किन्तु कोई उपस्थित
नहीं होने से बायीं का वाद - अदम हाजरी
अदम चैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली के मध्यम भाग होकर दर्ज नामों से नहीं।



सहायक अधिवक्ता पट्टन
सहायक कलक्टर कारंज